

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक-2238 /अलीगढ़/14208/2015, दिनांक, लखनऊ, मई 02, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (MDR-82W) किमी 0.01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/05/2017/एफसी/101, दि० 13.01.17
शासन का पत्रांक-भा०स० 13/14-2-2017-800(194)/2016, दिनांक 31.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव की प्रतियाँ शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थी। भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-2856/14-1, दि० 26.04.2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं। अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के उक्त पत्र की छायाप्रति एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है, कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

(वाई०एस०के०शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना वृत्त, लो०नि०वि०, मुरादाबाद।

(वाई०एस०के०शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।